कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5( )2021–22/भ.नदी/विकास/प्रमुवसं/7564 दिनांकः 25/08/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा संख्या 192.0.0 वर्ष 2021–22 में करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु आगामी वर्ष में 30.00 करोड रूपये के कार्य कराये जायेगें की घोषणा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की किया वति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो तथा अन्य कार्यो पर व्यय की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक एफ17.ए(भद्रावती नदी/मुअजसं/एफए/बजट/ 2023–24 दिनांक 17.07.2023 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को निम्नानुसार राशि रूपये 102.00 लाख के आहरण एवं वितरण अधिकार प्रदान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

मांग संख्या	लेखा शीर्ष	राशि लाखों में
46	4702–00–101–03–01–17	**69.36**
51	4702–00–789–02–04–17	**18.36**
30	4702–00–796–04–02–17	14.28
	योगः–	**102.00**

अतः उप वन संरक्षक, करौली को उक्त लेखा मदो में वांछित सीमा तक उपरोक्तानुसार कार्यो हेतु वर्ष 20223–24 हेतु आहरण वितरण अधिकारी के अधिकार प्रदान करते हुए निम्न शर्तो के अध्यधीन उपरोक्तानुसार बजट आवंटित किया जाता है:–

1. राशि का उपयोग में तत्संबंधी वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।
2. स्वीकृत प्रावधान की सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. उक्त राशि के अंकमिलान का दायित्व मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,जयपुर का होगा तथा मासिक व्यय की सूचना मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर स्वयं जाकर पूर्व में करवाये गये कार्यो का निरीक्षण करायें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(एम.के. गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ.5( )2021–22 / भ.नदी / विकास / प्रमुवसं / 7565-76 दिनांकः 25/8/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग,राजस्थान,जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव,जल संसाधन विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर
3. निदेशक,वित्त.(बजट)विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव,वित्त(व्यय–3)विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन विभाग,राजस्थान,जयपुर
6. मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर
7. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग,राजस्थान,जयपुर
6. .उप वन संरक्षक,करौली
7. कोषाधिकारी,कोष कार्यालय,करौली
8. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान,जयपुर